जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर।

आदेश

पंचायत, प्रखंड एवं जिला परिषद स्तर पर विभिन्न विभागों हेतु विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के बीच कार्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं रहने एवं विभिन्न स्तरों से की गयी प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप योजनाओं में आ रही समस्या के मद्देनजर कार्यहित में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के बीच कार्य क्षेत्र का आवंटन उनके विभाग द्वारा आवंटित कार्य क्षेत्र के परिपेक्ष्य में निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है जो उनके विभाागीय कार्य के अतिरिक्त होगा।

1. मनरेगा कार्य हेतु मनरेगा के संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता का स्थानान्तरण निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र0	कनीय अभियंता का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन आवंटित कार्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय किरण, कनीय अभियंता (मनरेगा)	संग्रामपुर	जमालपुर	
2	श्री दिलीप कुमार साह, कनीय अभियंता (मनरेगा)	टेटियाबंबर	असरगंज	
3	श्री साकेत रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा)	असरगंज	खड़गपुर	
4	श्री मनोज कुमार (मनरेगा)	डी0आर0डी0ए0, मुंगेर	संग्रामपुर	
5	श्री अरूण कुमार गुप्ता, (मनरेगा)	खड़गपुर	धरहरा	
6	श्री अनिल कुमार, (मनरेगा)	तारापुर	यथावत् तारापुर	
7	श्री रणवीर कुमार, (मनरेगा)	जमालपुर	सदर	

मनरेगा कार्य हेतु कनीय अभियंता की कमी को देखते हुए ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1 एवं 2 में पदस्थापित कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति निम्न प्रकार से की जाती है। यह प्रतिनियुक्ति उनके अन्य विभागीय कार्यो के अतिरिक्त होगा।

क्र0	कनीय अभियंता का नाम	विभाग द्वारा सम्बद्ध प्रखंड	पदस्थापन	आवंटित अतिरिक्त कार्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अवध बिहारी शरण, कनीय अभियंता	बरियारपुर प्रशाखा।	ग्रमीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-1	बरियारपुर प्रखंड का मनरेगा कार्य	अपने विभाग/आवंटित कार्य के अतिरिक्त संबंधित प्रखंड के मनरेगा का कार्य
2	श्री चन्द्रभूषण प्र0 ईश्वर, कनीय अभियंता	टेटियाबंबर प्रशाखा।	ग्रमीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2	टेटियाबंबर प्रखंड का मनरेगा कार्य	अपने विभाग/आवंटित कार्य के अतिरिक्त संबंधित प्रखंड के मनरेगा का कार्य

2. NREP के समाप्ति के उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कब्रिस्तान घेराबन्दी की योजनाएं भी शिथिल हो गयी है। कोई स्पष्ट प्रतिनियुक्ति अथवा जिम्मेदारी का निर्धारण न होने के कारण ऐसी संभावना बनी रहती है कि कोई भी कनीय अभियंता से कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ले लिया जाये। इस प्रकार की संशय की स्थिति समाप्त करने एवं स्पष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंताओं के विभागीय कार्यो के अतिरिक्त की जाती है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सहायक/कनीय अभियंता के कार्यक्षेत्र (अनुमंडल/प्रखंड) का निर्धारण किया जा चुका है। इस प्रतिनियुक्ति में उक्त व्यवस्था का भी यथासंभव ध्यान रखा गया है। ग्रामीण